

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ / 2023, लखनऊ, दिनांक :: 06 सितम्बर -2023  
-:: आदेश ::-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अक्टूबर-2023 में आदेश सं0 1176/2023 दिनांक 05-10-2023 द्वारा गठित युगल पीठ कार्यक्रम में उक्त के अतिरिक्त मेरठ पीठ में युगलपीठ निम्न प्रकार गठित की जाती है:-

| क0सं<br>01 | बैठने का<br>स्थान<br>02 | कार्य आवंटन<br>03 | कार्य- अवधि<br>04               | युगलपीठ में सम्मिलित<br>होने वाले सदस्य |                    |
|------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1          | पीठ-1, मेरठ             | पीठ-1 व 2 मेरठ।   | दिनांक 09.10.2023 से 12.10.2023 | सदस्य पीठ-1, मेरठ<br>सदस्य पीठ-2, मेरठ  | न्यायिक<br>विभागीय |

शेष खण्डपीठ कार्यक्रम यथावत बना रहेगा।

ह0-06-09-2023

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1183 / 2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कार्यालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, मेरठ पीठ-1, मेरठ।
- 2- कार्यालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, मेरठ पीठ-2, मेरठ।
- 3- कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5- सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।